



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022024-252216
CG-DL-E-17022024-252216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]
No. 101]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2024/माघ 27, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2024/MAGHA 27, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2024

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी (04)/2023 (पी-4451).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) 2008 विनियमों में संशोधन करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, -

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियाँ) विनियम, 2008 में, -

(i) विनियम 2(1)(छ) में-

क) परंतुक में, "सीजीडी नेटवर्क को सीजीडी नेटवर्क का एक भाग माना जाएगा,....." शब्दों के बाद और "....तथापि प्राधिकृत संस्था" शब्दों से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

"यदि आवश्यक हो, तो पीएनजीआरबी से पूर्व अनुमोदन के अधीन, प्राधिकृत संस्था अपने प्राधिकरण की तारीख से 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए ऐसे सीजीएस के साथ कम्प्रेशन सुविधाओं को स्थापित और संचालित कर सकती है। 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, प्राधिकृत संस्था तुरंत ऐसी कम्प्रेशन सुविधाओं का संचालन बंद कर देगी।"

ख) "तथापि" शब्द, "तथापि, किसी भी स्थिति में" शब्द से प्रतिस्थापित होंगे ;

ग) "ग्राहक.." शब्द के बाद और "...बाहर" शब्द से पहले "पाइपलाइन से" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

घ) परंतुक के अंत में, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसी स्थितियों में जहां सीजीएस प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या बाहर स्थापित किया गया है, लेकिन बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसी आवश्यकता या औचित्य है कि ऐसे सीजीएस से जुड़ने वाली पाइपलाइन को अन्य भौगोलिक क्षेत्र (क्षेत्रों) से गुजरना होगा, तो बोर्ड ऐसी पाइपलाइनों के लिए मंजूरी दे सकता है, और ऐसी अनुमोदित पाइपलाइनों को प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा, तथापि प्राधिकृत संस्था अपने भौगोलिक क्षेत्र के बाहर ऐसी पाइपलाइन से किसी भी ग्राहक को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति नहीं करेगी।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./755/2023-24]

पाद टिप्पण : मुख्य विनियम जी.एस.आर. 612 (ई), दिनांक 27 अगस्त, 2008 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् जी.एस.आर.750 (ई) दिनांक 14 अक्तूबर, 2009, फा.सं.एम (1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 16 दिसंबर, 2014 और फा. सं. एल-विविध/VII/2007, दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा. सं. एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, 9 मार्च 2016, फा. सं. एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 24 नवम्बर 2016, फा. सं. पीएनजीआरबी/तक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2019, दिनांक 7 नवंबर, 2019, फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(06)/2020, दिनांक 30 जून, 2020, फा. सं. पीएनजीआरबी/तक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020, दिनांक 15 सितंबर, 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/त./1-टी4एससीजीडी/(1)/2021 (पी-3369) दिनांक 27 अगस्त, 2021 के माध्यम से संशोधित किए गए थे ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, 16th February, 2024

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (04)/2023 (P-4451).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement,-

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2024.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -
- (i) In regulation 2(1)(g), -
- a) in the proviso, after the words “CGD network shall be considered as a part of CGD network,.....” and before the words “...however the authorized entity”, the following shall be inserted namely:-
- “If required, subject to prior approval from PNGRB, the authorized entity may set up and operate compression facilities along with such CGS for an initial period of 2 years from the date of its authorization. Upon the expiration of 2 years period, the authorized entity shall immediately cease the operation of such compression facilities.”
- b) for the word “however”, the words “However, in any case,” shall be substituted;
- c) after the words “customer...” and before the word “...outside” the words “from the pipeline” shall be deleted.
- d) at the end of proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
- “Provided further that in cases where CGS is established inside or outside the Authorized Geographical Area, but the Board is satisfied that there is necessity or expediency that the pipeline connecting from such CGS shall have to pass through other Geographical Area(s), then the Board may grant approval for such pipelines, and such approved pipelines shall be considered as a part of the authorized CGD network, however the authorized entity shall not supply natural gas to any customer from such pipeline outside its geographical area.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./755/2023-24]

Foot Note: Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 612 (E), dated 27th August, 2008 and amended vide G.S.R. 750 (E) dated 14th October, 2009, F. No. M (I)/T4S/CGD/1/2010 dated 16th December, 2014, F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 1st January, 2015, F. No. M(1)/T4S/CGD/1/2010, dated 9th March 2016, F. No. M(I)/T4S/ CGD/1/2010, dated 24th November, 2016, F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019, dated 7th November, 2019, F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020, dated 30th June, 2020, F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020, dated 15th September, 2020 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2021 (P-3369) dated 27th August, 2021.